राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

Shala Darpan @राजस्थान

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–5, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,जयपुर–302017

दूरभाषः 0141–2700872, E-mail: shaladarpanjpr@gmail.com, rmsaccr@gmail.com

क्रमांक : रा.स्कूल शि.प. / जय / शालादर्पण / 2021 / 1229 दिनांक :– 05/07/2021

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक
समग्र शिक्षा, समस्त जिले।

अत्यावश्यक

विषय :– शालादर्पण पोर्टल कार्मिक विस्तृत विवरण (प्रपत्र 10) लॉक व सत्यापन के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शाला दर्पण पोर्टल पर कार्मिक विस्तृत विवरण (प्रपत्र–10) में दर्ज सभी सूचनाऐं कार्मिकों की सेवापुस्तिका एवं व्यक्तिगत पत्रावली से मिलान / सत्यापन कर निम्न प्रक्रिया अपनाते हुए ***दिनांक 25.07.2021 तक*** अनिवार्यतः लॉक करवाई जावें :–

1. **कार्मिक विस्तृत विवरण प्रपत्र लॉक (LOCK) की प्रक्रिया** :– सभी राजकीय प्राथमिक / उच्च प्राथमिक / माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालयों के संस्था प्रधानों द्वारा शाला दर्पण पोर्टल पर विद्यालय लॉगिन में कार्मिक (Staff) टैब के अन्तर्गत उपलब्ध कार्मिक विस्तृत विवरण (प्रपत्र–10) में समस्त सूचनाऐं मूल सेवापुस्तिका एवं व्यक्तिगत पत्रावलियों के आधार पर दर्ज की जायें और सम्बन्धित कार्मिक से पोर्टल पर प्रदर्शित सूचनाओं का सत्यापन करवाया जाकर उसके 1 से 11 तक सभी फॉर्मेट (1–व्यक्तिगत, 2–शैक्षणिक, 3–प्रशैक्षणिक, 4–सेवा, 5–पदौन्नति, 6–पारिवारिक, 7–पता, 8–वेतन, 9–बैंक, 10–एसीपी, 11–प्रशिक्षण) को पृथक–पृथक लॉक (Lock) किया जाये।
2. **कार्मिक विस्तृत विवरण प्रपत्र सत्यापन (VERIFICATION) की प्रक्रिया** :– प्रपत्र 10 को संस्था प्रधान स्तर से लॉक किये जाने के उपरान्त प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों के कार्मिक के प्रपत्र–10 संबधित PEEO/UCEEO द्वारा शाला दर्पण पोर्टल के PEEO/UCEEO रोल से तथा माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालयों के कार्मिको के लिए संस्था प्रधानों द्वारा स्वयं के विद्यालय लॉगिन से कार्मिकवार कार्यालय में उपलब्ध सेवा रिकार्ड से मिलान करते हुए सत्यापन (Verification) किया जाये।
3. **कार्मिक विस्तृत विवरण प्रपत्र अनलॉक (UNLOCK) की प्रक्रिया** :– सत्यापन से पूर्व किसी भी कार्मिक की सूचनाऐं गलत पाये जाने पर सत्यापनकर्ता के लॉगिन से ही हैल्पडैस्क के अन्तर्गत उपलब्ध विकल्प से अनलॉक किया जा सकता है। एक बार सत्यापन (Verification) किये जाने के पश्चात पोर्टल पर दर्ज सत्यापित सूचनाओं में कोई परिवर्तन संभव नही होगा। विशेष परिस्थितियों में सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को यथोचित कारण सहित लिखित सूचना उपलब्ध करवाते हुए सत्यापन को निरस्त करवाया जा सकेगा।
4. **अन्तिम रूप से सत्यापन उपरान्त की जाने वाली कार्यवाही** :– प्रत्येक कार्मिक के प्रपत्र–10 की अन्तिम रूप से सत्यापित प्रविष्टियों का प्रिन्ट लेकर उसे कार्मिक एवं संस्थाप्रधान से प्रमाणित करते हुए मूल व्यक्तिगत पत्रावली में लगाया जावें। जिसमें सत्यापनकर्ता का नाम

व सत्यापन की दिनांक अंकित होना आवश्यक है। उक्त सत्यापित अभिलेख को एक बार सेवा रिकार्ड में संधारित किये जाने के पश्चात किसी भी स्थिति में नही हटाया जाना है यदि सत्यापन के उपरांत कोई भी संशोधन किया जाता है तो पूर्व की प्रति के साथ–साथ ही संशोधित प्रति भी संधारित की जानी है।

अतः उक्तानुसार समस्त कार्मिकों का शाला दर्पण पोर्टल पर कार्मिक विस्तृत विवरण (प्रपत्र–10) दिनांक 25.07.2021 तक अनिवार्यतः लॉक (Lock) एवं सत्यापन (Verification) करवाना सुनिश्चित करावें। इसके उपरान्त भी यदि शाला दर्पण के कार्मिक विस्तृत विवरण प्रपत्र में गलत सूचनायें दर्ज रहती है एवं उपलब्ध डाटा का उपयोग विभागिय हित में किसी भी कार्य में किया जाता है तो सम्बन्धित कार्मिक एवं संस्थाप्रधान की जिम्मेदारी होगी।

(एम.आर. बागडिया)
अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक

क्रमांक : रा.स्कूल शि.प. / जय / शालादर्पण / 2021 / 1230 दिनांक :– 05 / 07 / 2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
2. निदेशक, मा.शि. / प्रा. शि., राजस्थान, बीकानेर।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, राजस्थान।
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा / माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान।
5. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, राजस्थान।
6. सहायक निदेशक, शाला दर्पण प्रा. शि. / मा.शिक्षा निदेशालय, बीकानेर को देकर लेख है कि उक्त मॉड्यूल की प्रभावी मॉनटरिंग करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
7. समस्त CBEO / PEEO / UCEEO को पालनार्थ।
8. रक्षित पत्रावली।

(सना सिद्दीकी)
उपायुक्त–III